नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा / ग्रुप हाउसिंग / 2019 / S-328
दिनांक 11/10/19

मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड
बी–28–29, सेक्टर–58,
नौएडा।

विषय– केपटाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स की शिकायत के सम्बन्ध में।

कृपया पत्र के साथ संलग्न Capetown Association of Apartments Owners (Regn No. GBN/003245/2019-20 के पत्र दिनांक 25.9.2019 का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से एसोसिएशन द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि केप टाउन एसोसिएशन आफ अपार्टमेंट ओनर्स कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना नोएडा अथारिटी में प्रोपर्टी ट्रान्सफर की जा रही है। साथ ही उन्होने उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा 14 की उपधारा 6 के अधीन बनी उप विधि के क्लॉज 39 के अनुसार फ्लैट आवंटियों को अपार्टमेंट स्वामियों के संघ से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।

अतः संदर्भित प्रकरण में इस पत्र के जारी होने की तिथि से 07 दिनो के अन्दर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की उक्त शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए उक्त परियोजना से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत कॉमन फैसिलिटीज, मेंटेनेन्स एवं आई.एम.एफ.एस. की धनराशि ए.ओ.ए. को अविलम्ब सौंपने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(तेजवीर सिंह)
सहायक महाप्रबंधक (ग्रुप हाउसिग)

प्रतिलिपिः–

1. केपटाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, सी.एस.–05 / 404, भूखण्ड संख्या–जीएच–01ए, सेक्टर–74, नौएडा के सूचनार्थ।

सहायक महाप्रबंधक (ग्रुप हाउसिग)

Scanned by CamScanner